

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-528 / 2026

पचमहला थाना कांड संख्या-97 / 2025

अंतर्गत धारा-303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस & 56(2) Bihar Minerals (Concession Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Amendment Rule-2024

26.05.2026

याचिकाकर्ता 1. ओम प्रकाश की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 26.05.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा-303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस & 56(2) Bihar Minerals (Concession Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Amendment Rule-2024 से संबंधित पचमहला थाना कांड संख्या 97 / 2025, दिनांक 16.12.2025, के अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, इन्हें इस केस में गलत फंसाया गया है, इनके द्वारा कोई-भी अपराध नहीं किया गया है। आवेदक, महिन्द्रा ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर-BR-09GB-9371 है, का स्वामी है, इन पर जिला खनन पदाधिकारी, पटना के द्वारा एक लाख, चार हजार, दो सौ साठ रूपए का फाइन अधिरोपित किया गया है, जिसे आवेदक के द्वारा जमा किया जा चुका है। आवेदक के विरुद्ध बीएनएस की धारा-303(2), 317(2) के अंतर्गत आरोप नहीं बनता है, इन्हें सिर्फ गैर-जमानतीय बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। अन्य सह-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-264 / 2026 एवं अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-208 / 2026 के द्वारा इस न्यायालय से दिया गया है, आवेदक का भी मामला समान आधार का है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्त को भी समान आधार होने के कारण जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा यह सहमति व्यक्त किया गया है कि, आवेदक के द्वारा उस पर अधिरोपित फाइन खनन विभाग में जमा किया गया है एवं उभयपक्षों के द्वारा किए गए निवेदन पर सहमति व्यक्त करते हैं। अतः, इन्हें भी अन्य सह-अभियुक्तों की तरह समान आधार पर जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि, इस वाद के सूचक-खान निरीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी- गोविन्द कुमार हैं, जिसमें इनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक-16.12.2025 को लघु खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध औचक निरीक्षण के क्रम में आवेदक का महिन्द्रा B275DI ट्रैक्टर को जांच-हेतु रोका गया। जांच में पाया गया कि, आवेदक के महिन्द्रा ट्रैक्टर, जिसका चेचिस नंबर-MBNABAEXKNRE09024 पर 80 CFT अवैध गंगा नदी का उजला बालू लदा हुआ था और

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-528 / 2026

पंचमहला थाना कांड संख्या-97 / 2025

अंतर्गत धारा-303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस & 56(2) Bihar Minerals (Concession

Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Amendment Rule-2024

लगातार

26.05.2026

बिना परिवाहन चालान के खनिज ले जाया जा रहा था, जिससे खान निरीक्षक, पटना के द्वारा इसे पंचमहला में पकड़ा था और इस पर विभाग का फाइन एवं शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य वगैरह सब मिलाकर कुल जुर्माना एक लाख, चार हजार, दो सौ साठ रुपए का राजस्व की हानि हुई।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि खनिज विकास पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-758/एम0, दिनांक-26.03.2026 के द्वारा यह बताया गया है कि आवेदक के द्वारा उक्त राशि को खनन शेष में जमा किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि ओम प्रकाश के द्वारा एक लाख, चार हजार, दो सौ साठ रुपए ई-चालान के माध्यम से राजस्व की हुई क्षति को जमा किया गया है। आवेदक, जप्त वाहन का स्वामी है, गाड़ी का चालक-गौरव कुमार था। अन्य सह-अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ इस न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं समान आरोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त-1. ओम प्रकाश को भी समान आधार पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित/शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़